

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 328] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 8, 1978/कार्तिक 17, 1900
No. 328] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 8, 1978/KARTIKA 17, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

कृषि, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

अधीक्षक

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1978

सा. का. वि. 533(अ)—वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 के खण्ड 2 के
उपखंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर्क्ष. एम. सहाय, भारत का
वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक, वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 के अधीन
भारत के वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक की सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भी,

वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय के निदेशक (वनस्पति) को प्राधिकृत करता है ।

[सं. 2 बी. पी. (1)/78]

आई. एम. सहाय, भारत का वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION
(Department of Civil Supplies and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 1978.

G.S.R. 533(E) In exercise of the powers conferred by sub-clause (a) of clause 2 of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, I, I. M. Sahai, Vegetable Oil Products Controller for India, hereby authorise the Director (Vanaspati), Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats, also to exercise all the powers of the Vegetable Oil Products Controller for India under the Vegetable Oil Products Control Order 1947.

[No. 2-VP(1)/78]

I. M. SAHAI, Vegetable Oil Products Controller for India